राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 143 व 144/2014 जिला : जयपुर
मैसर्स जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,संभाग–द्वितीय,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2014	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री अमर सिंह, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री अलकेश शर्मा,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.एस.राठौड उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय अधिकारी, तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.01.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,प्रतिकरापवंचन संभाग–द्वितीय,जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25,55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.11.2013 निर्धारण वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के सम्बन्ध में कायम की गयी मांग राशि रू. 448,25,766/– एवं रू. 3,45,62,451/– में से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियॉ क्रमशः रू 2,46,97,392/– व रू. 1,96,93,704/–का स्थगन प्रदान करते हुए शेष क्रमशः कर एवं ब्याज रू. 2,01,28,374/–एवं रू. 1,48,68,774/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए कर एवं ब्याज रू. 2,01,28,374/–एवं रू. 1,48,68,774/– की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों के नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.3.2011 को पारित किये गये है,जिनमें अपीलार्थी की अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री स्वीकार की गई है, परन्तु विवादित आदेश के द्वारा कर निर्धारण अधिकारी ने राय बदलकर कर,शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों पर स्थगन दिया, परन्तु बिना कोई कारण अंकित किये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज पर स्थगन प्रदान नहीं किया है । अतः सुविधा सन्तुलन अपीलीार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया बनता है। अतः उन्होंने कर एवं ब्याज रू. 2,01,28,374/–एवं रू. 1,48,68,774/–को स्थगित करने का निवेदन किया। राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कर एवं ब्याज रू. 2,01,28,374/–एवं रू. 1,48,68,774/–को स्थगित नहीं करने का निवेदन किया। उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त उक्त स्थगित राशि	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

आबकारी अपील संख्या : 143 व 144/2014 जिला : जयपुर.....
मैसर्स जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,संभाग–द्वितीय,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अप , जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2014	की शर्तो को पूर्ण करने की अवस्था मे अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदित कर एवं ब्याज रू. 2,01,28,374/–एवं रू. 1,48,68,774/– पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पभावी समझा जावेगा । अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है । निर्णय सुनाया गया । (अमर सिंह) 4-2-14 सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	